



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052022-236088
CG-DL-E-28052022-236088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2294]
No. 2294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2420(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. १११ (अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड ३, उपखंड (ii) में १० जानेवारी २०२२ प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में रा. महा ६६ के कि.मी. २०५.४ से कि.मी. २४१.३ (पेढे परशुराम सेक्शन) तक के भूखण्ड पर के निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा ३क की उपधारा (३) के अधीन तारीख "२८ जानेवारी २०२२" को "दैनिक सागर" और "दैनिक गोवा टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा ३ (घ) की उपधारा (१) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा ३ (घ) की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा ३ (घ) की उपधारा (२) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में रा. महा ६६ के कि.मी. २०५.४ से कि.मी. २४१.३ (उपविभागीय अधिकारी कार्यालय चिपळूण) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: रत्नागिरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चिपळूण				
	गांव का नाम: असुर्दे				
1	2519/2	निजी	कृषिक	0.1084	भिमाजी धनजी पटेल (२५१९/२ भाग)
	गांव का नाम: कामठे				
2	1159	निजी	कृषक	0.0068	श्रीकृष्ण सीताराम कासार (११५९ भाग)
	गांव का नाम: खेरशेत				
3	1627	निजी	कृषिक	0.02	सुधीर दत्तात्रय परांजपे, अमिता अरुण जोशी, वर्षा प्रभाकर नातू (१६२७ भाग)
			कुल	0.1352	

[फा. सं. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2420(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 111 (E) dated 10 January 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction (Four lane/winding), Maintenance, management and operation of NH66 on the stretch of land from Km. 205.4 to Km. 241.3 (**Pedhe Parshuram Section**) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Dainik Sagar**” and “**Dainik Goa Times (Ratnagiri)**” both dated 28th January 2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH66 in the stretch of land from Km. २०५.४ to Km. २४१.३ NH66 (Sub Divisional Office Chiplun) in the district of RATNAGIRI in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: RATNAGIRI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chiplun				
	Village: Asurde				
1	2519/2	Private	Agriculture	0.1084	Bhimaji Dhanaji Patel 2519/2 Part
	Village: Kamathe				
2	1159	Private	Agriculture	0.0068	Shrikrishna Sitaram Kasar 1159 Part
	Village: Khershet				
3	1627	Private	Agriculture	0.02	Sudhir Dattatray Paranjape, Amita Arun Joshi, Varsha Prabhakar Natu 1627 Part
			TOTAL	0.1352	

[F. No. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3D2]

RAJESH GUPTA, Director